

प्रेषक,

अभय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2019

विषय:- जनपद शाहजहापुर में पुतलाल चौराहे से रोजा अड्डा तक मार्ग (अ०जि०म०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 2.95 कि०मी०) के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-51कैम्प/109-01नि/2018-19 मु०अभि०(मु०-1) दिनांक 07.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहापुर में पुतलाल चौराहे से रोजा अड्डा तक मार्ग (अ०जि०म०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 2.95 कि०मी०) की आंकलित लागत रु० 1524.10 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ चौबीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 5.00 लाख (रुपया पाँच लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	शाहजहापुर	जनपद शाहजहापुर में पुतलाल चौराहे से रोजा अड्डा तक मार्ग (अ०जि०म०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 2.95 कि०मी०) का कार्य।	1524.10	3.940	1.060	5.00

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या- ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री

(A.K. Verma)

Junior Engineer

Provincial Division, P.W.D.

Shahjahanpur

- द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800 अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा को जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
 - (9) मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
 - (10) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
 - (11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
 - (12) यूटीलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत आगणन उनके सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।
 - (13) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (14) प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी।
 - (15) प्रस्तावित कार्यों की द्वावरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
 - (16) प्रश्नगत कार्य हेतु वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस- 2014-10/77 दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (17) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चोत्तरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य व अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 के आलोक में जारी किया जा रहा है।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-631/दस-19, दिनांक 09 मार्च 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

संख्या-59/2019/33(1)/23-11-2019-1/2(22)/2019-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल/जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बरेली क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, बरेली।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

(A.K. Verma)
Junior Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

संख्या-15135/23-11-2019-1/1(33)/2019

प्रेषक,

अभय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।



आर्यो अभियन्ता/
प्रमुख लोक निर्माण
विभाग

25/11/19

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण
योजनान्तर्गत 01 चालू कार्य के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-6917बी0जी0/7बी0-मांग/2018-19, दिनांक 11-09-2019 एवं पत्र संख्या-7266बी0जी0/7बी0-मांग/2018-19, दिनांक 23-09-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के 04 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार कुल रू0 1837.59 लाख (रुपया अठ्ठास करोड़ सैंतीस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	ग्रन्थ का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत/ताम्र	अव तम आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनुदान सं०-58	अनुदान सं०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा०ख० मथुरा	जनपद मथुरा में कोकिलावन मार्ग (अ०जि०मा०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 1.993 कि०मी०)।	1687.50	1336.50	210.08	56.55	266.63
2	प्रा०ख० गोरखपुर	कौंडराम-बासगांव (रुद्रपुर) खजनी मार्ग के कि०मी० 1 से 8 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1784.89	713.95	773.48	208.22	981.70
3	प्रा०ख० सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में सुन्दरपुर नौरंगपुर (अ०जि०मा०) मिर्जापुर मार्ग जरागीर कि०मी० 1 से 32 तक सुदृढीकरण कार्य।	2839.36	2697.39	109.49	29.48	138.97
4	प्रा०ख० शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर में हथौडा चौराहे से पुतलूनाल चौराहे तक (अ०जि०मा०) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	1125.73	5.00	354.78	95.51	450.29
योग:-			7437.48	4752.84	1447.83	389.76	1837.59

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थानीय आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(A.K. Verma)
Junior Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

- (2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जा सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा दिनांक 30.04.2020 शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
- (3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासन की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।
- 2- प्रश्नगत कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़क-337-सड़क निर्माण कार्य-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़क-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी०-1-170/दरा-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधित्व अधिकारों के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भावदीय,

(अभय कुमार)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक यशोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमाणित किया जाता है कि सूचीबद्ध एवं आदेशिक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मि.जी. रायचंद, माओ 34 मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0।
 - 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
 - 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
 - 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी। ११६ (अ) पूर
 - 5- मुख्य अभियन्ता (मुओ-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
 - 6- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0 प्रयागराज।
 - 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
 - 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
 - 9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुओ-8/वित्त आय-व्ययक अनुओ-1, 30प्र0 शासन।
 - 10- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
 - 11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
 - 12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र0 शासन।
 - 13- डाटा रोल, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
 - 14- गार्ड फाइल।

(A.K. Verma)

Junior Engineer

Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

आज्ञा से,

(अभय कुमार)

उप सचिव।

प्रेषक,

अभय कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 25 अक्टूबर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण
योजनान्तर्गत चालू कार्यों के सापेक्ष धनावदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-7822 बी0जी0/7बी0-मांग/2018-19, दिनांक 10-10-2019 एवं पत्र संख्या-7973बी0जी0/7बी0-मांग/2018-19, दिनांक 14-10-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के 08 चालू कार्यों हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार कुल रु0 4023.76 लाख (रुपया चालीस करोड़ तेईस लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत/लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनुदान सं०-58	अनुदान सं०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि०ख० भवन गोरखपुर	गोरखपुर शहर में सर्किट हाऊस (नगर निगम सीमा के अन्तर्गत गोरखपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाऊस मार्ग तथा साईकिल ट्रैक का निर्माण) तक चार लेन मार्ग (अन्य जिला मार्ग, शहरी भाग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 8.710 कि०मी०)।	9655.66	7724.53	787.90	212.10	1000.00
2	नि०ख० भवन वाराणसी	जनपद वाराणसी में टिकरीकला लोकापुर पोचो शिवाला होते हुए बड़गांव मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 6.00 कि०मी०)।	626.20	250.00	197.35	53.13	250.48
3	नि०ख० भवन वाराणसी	जनपद वाराणसी में डेहरिया विनायक कोरौती छितौनी मार्ग के चैनैज 0.00 से 10.100 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 10.100 कि०मी०)।	925.69	370.00	294.11	79.17	373.28
4	प्रा०ख० शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में जी०आई०सी० से अटसलिया रेलवे फाटक तक मार्ग (अ०जि०मा०) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण। (लम्बाई 3.95 कि०मी०)	2195.61	50.00	472.74	127.26	600.00
5	प्रा०ख० गोण्डा	जनपद गोण्डा में डुमरियागंज गौराघाँकी मसकनवा कटरा अयोध्या मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 26.63 कि०मी०)	5543.96	4435.17	315.16	84.84	400.00
6	प्रा०ख० हमीरपुर	जनपद हमीरपुर में हमीरपुर बाईपास (लम्बाई 8.90 कि०मी०) के निर्माण कार्य।	9392.07	3756.83	236.37	63.63	300.00
7	नि०ख०-2 हरदोई	बिलराया-पलवारी मार्ग से सुरसा बीकापुर बन्नापुर (अन्य जिला मार्ग-0041) के चैनैज 0.00 से 5.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)	915.18	247.00	157.58	42.42	200.00
8	नि०ख० सीतापुर	जनपद सीतापुर में सिधौली-मिश्रिख-पिसावा-नेरी मार्ग के सिधौली से कल्ली होते हुए नैमिषारण्य बी०पी० मार्ग (प्रमुख/अन्य जिला मार्ग) के कि०मी० 134.00 तक का 2 लेन से पेड शोल्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य। (लम्बाई 42.60 कि०मी०)	7244.48	3397.79	709.11	190.89	900.00
योग:-			36498.85	20231.32	2178.32	853.44	4023.76

- (1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्धारित आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त लिपि के आधार पर, स्थाई आदेशों

Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के संपरिक्षित लेखा दिनांक 30.04.2020 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्य हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्य हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
उप सचिव।

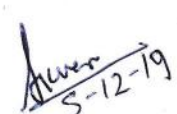
संख्या व दिनांक यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।


(A.K. Verma)
Junior Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

प्रेषक,

अभय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2019

विषय:- जनपद शाहजहांपुर में बरेली मोड़ से गर्रा सेतु तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 04 लेन चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 1.80 कि०मी०) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2126नि०/109-01नि०/2019-20, दिनांक 04-09-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण योजनान्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में बरेली मोड़ से गर्रा सेतु तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 04 लेन चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 1.80 कि०मी०) की आंकलित लागत रु० 920.10 लाख (रूपये नौ करोड़ बीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागत के सापेक्ष कुल रु० 460.00 लाख (रूपया चार करोड़ साठ लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर में बरेली मोड़ से गर्रा सेतु तक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 04 लेन चौड़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.80 कि०मी०)।	920.10	362.00	98.00	460.00

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(A.K. Verma)
Junior Engineer

Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
 - (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
 - (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।
 - (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
 - (9) मूल्य ह्रास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
 - (10) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
 - (11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (12) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
 - (13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दिये गये दिशा निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1328-प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

(A.K. Verma)
Junior Engineer
Provincial Division, P.W.D.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-1873/दस-19, दिनांक 04 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय कुमार)

उप सचिव।

संख्या-199/2019/194(1)/23-11-2019-1/2(105)/2019-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल/जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 6- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (बरेली क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, बरेली।
- 9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 13- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)

उप सचिव।

(Signature)
S-12-19
(A.K. Verma)

Junior Engineer
Provincial Division, P.W.D.
Shahjahanpur

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।